फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

गोरधन खोलायत वगैरह –बनाम– फूसी देवी वगैरह

किस्म मुकदमा : 76 भू–राजस्व अधिनियम **अपील संख्या 20 / 2012**

GCMS No. 2012 / 00050

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	[illegible]
15.07.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के आदेश दिनांक 07.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलाट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 में दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसे शामिल पत्रावली किया। वादग्रस्त भूमि ग्राम देशनोक खसरा नंबर 1443 की 7.65 हैक्टयर, 1607 / 1432 की 0.69 हैक्टयर एवं 1608 / 1434 की 0.61 कुल तादादी 8.97 हैक्टयर भूमि बतौर खातेदार स्व. उदाराम के नाम दर्ज थी। उक्त अनवानी अपील में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2012 को वादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करने के स्थगन आदेश दिये गए है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक वाद CSA / 165 / 2023 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ऐंसी स्थिति में जब तक उक्त सिविल प्रकरण में निर्णय नही होता, तब तक इस अपील में किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस न्यायालय में विचाराधीन उक्त अपील को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक आगामी पेशी दी जाकर लम्बित रखा जाना भी न्याय की दृष्टि से उचित नहीं होगा। प्रकरण में उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिक्षा में रखा जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रकरण में वादगत भूमि बाबत् इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.02.2012 को निरस्त करते हुए पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रखी जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/7/24 **(वन्दना सिंघवी)** **संभागीय आयुक्त** **बीकानेर**	